बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या– NHM/BHDS/ 111/2023– पी०पी०एम०- 207 /कृ0, पटना, दिनांक– 30/03/2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)

विषय :– **चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य योजना मद् से वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना का कुल 339.18 लाख (तीन करोड़ उनतालीस लाख अठारह हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 339.18 लाख (तीन करोड़ उनतालीस लाख अठारह हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य योजना मद् से वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना का कुल 339.18 लाख (तीन करोड़ उनतालीस लाख अठारह हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 339.18 लाख (तीन करोड़ उनतालीस लाख अठारह हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. इस योजना का उद्देश्य राज्य में कृषि व्यवसाय के समग्र विकास के लिए बिहार में कृषि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, फसल के उत्पाद के अपव्यय को कम करने, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के परिणाम स्वरूप कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास करना, कृषि के चिह्नित क्षेत्रों में नई कृषि उद्योग/प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के साथ–साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन और राज्य में मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना एवं उपज के बेहतर प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य (remunerative returns) दिलाना एवं उनके आय में वृद्धि लाना है।

2. योजना का भौतिक आकार अनुसूची–1 के अनुरूप कुल 339.18 लाख रूपये की है तथा इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2024–25 में किया जाना है।

3. इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित घटकों का कार्यान्वयन किया जाना प्रस्तावित है :–

(I) पूंजीगत अनुदान–

(i) बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति (BAIPP) अंतर्गत चयनित क्षेत्रों में प्रसंस्करण हेतु इकाई की स्थापना/आधुनिकीकरण/विविधीकरण की परियोजनाओं को पात्रता रखने पर निर्धारित दर अनुसार पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा।

(ii) कोई परियोजना पूंजीगत अनुदान हेतु पात्रता रखती है या नहीं यह BAIPP अंतर्गत गठित परियोजना अनुश्रवण समिति (Project Monitoring Committee) के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाएगा।

(iii) बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 की दिशा–निर्देश के कंडिका–4.5 के अनुसार इस योजना के तहत न्यूनत्तम 25 लाख रूपये और अधिकत्तम 500 लाख रूपये की लागत वाली परियोजनाएँ इस नीति के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

(iv) इस योजना के तहत व्यक्तिगत निवेशकों, पार्टनरशिप फर्म, सीमित देयता भागीदारी (LLP) कंपनियों के लिए– परियोजना लागत का 15 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

(v) इस योजना के तहत किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) के लिए– परियोजना लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

(vi) इस योजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के निवेशकों के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है।

(vii) इस योजना के तहत महिलाओं, डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति (दिव्यांग), युद्ध विधवाओं, एसिड अटैक पीड़ितों और तीसरे लिंग निवेशकों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है।

(viii) पूंजीगत अनुदान हेतु चयनित परियोजनाएं निम्न किश्तों में अनुदान राशि के लिए आवेदन BAIPP हेतु बनाये गए Webpage के माध्यम से कर पायेंगे।

- **प्रथम किस्त**– 50 प्रतिशत (संयंत्र एवं मशीन की खरीद और स्थापना पश्चात्)।
- **द्वितीय किस्त**–50 प्रतिशत (वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के पश्चात्)।

(ix) पूंजीगत अनुदान हेतु परियोजनाओं की पात्रता, मूल्यांकन के मापदण्ड, देय राशि की किश्त, अनुदान की किश्तें, आदि BAIPP, नीति हेतु लागू Operational guidelines (क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका) पत्रांक –NHM/BHDS/199–2020/147,दिनांक –01.09.2020 एवं PMC द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों द्वारा निर्देशित होंगे।

(x) इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल 5 परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। यथा–पाटलिपुत्रा फूड्स प्रा० लि०, शिव शक्ति एग्रो प्रा० लि०, मिथिला कन्जयूमर गूड्स प्रा० लि०, मखायो फूड्स प्रा० लि० एवं श्री श्याम फूड्स, अनुसूची–3 में संलग्न है। योजना अंतर्गत लगभग 61,764 मानव दिवस सृजन की संभावना है।

(II) कार्यालय व्यय– BAIPP के राज्य में सफल क्रियान्वयन हेतु उद्यान निदशालय द्वारा टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप की सेवा ली जायेगी साथ ही उद्यान निदेशालय अंतर्गत चालू यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम (YPP) के द्वारा मानवबल का नियोजन किया जाएगा।

4. यह योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जायेगी। योजना हेतु निर्धारित राशि का आंकलन BAIPP अंतर्गत परियोजना लागत के विरूद्ध देय पूंजीगत अनुदान लागत का निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार एवं अन्य अवयवों को as per actual के आधार पर किया गया है।

क्र०सं०	विवरण	पूँजीगत अनुदान
1.	व्यक्तिगत निवशकों, पार्टनरशिप फर्म, सीमित देयता भागीदारी कंपनियों के लिए	15 प्रतिशत
2.	किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs)के लिए	25 प्रतिशत
3.	राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के निवेशकों के लिए	5 प्रतिशत अतिरिक्त (15% +5% =20%)
4.	महिलाओं, डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति (दिव्यांग), युद्ध विधवाओं, एसिड अटैक पीड़ितों और तीसरे लिंग निवेशकों के लिए	2 प्रतिशत अतिरिक्त (15% + 2% =17%)

5. निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत/आवंटित राशि की निकासी सचिवालय, कोषागार, विकास भवन, पटना से करते हुए बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के पी० एल० खाता संख्या –PBBPLA021 में स्थानांतरित की जाएगी।

6. इस योजना के तहत जारी की जाने वाली अनुदान की राशि संबंधित परियोजना के सावधि ऋण खाते में ऋण के मूल घटक (Principal Component of loan) में Adjust करने हेतु DBT in Cash के रूप में CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि का व्यय बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाएगा। योजना का अवयववार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 एवं 2 के रूप में संलग्न है।

8. योजना अन्तर्गत स्वीकृत कोटिवार की राशि बजट उपबंध में उपबंधित कोटिवार राशि के अनुपात में नहीं है क्योंकि वास्तविक आवश्यकतानुसार कोटिवार राशि का प्रावधान किया गया है।

9. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश के निर्गत तिथि से 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार (ले० एवं ह०) को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जायेगा।

12. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

13. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट शीर्ष, उपबंधित तथा स्वीकृत राशि का विवरण निम्नवत् है :–

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1	मुख्य शीर्ष –2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष –00 लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग सं०–01, उप शीर्ष 0124–बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना, विपत्र कोड –01–2401001190124 विषय शीर्ष		
	1101 यात्रा व्यय	3.7400	0.0000
	1301 कार्यालय व्यय	65.4400	65.4400
	2003 प्रशिक्षण व्यय	50.7000	00.0000
	2601 विज्ञापन और प्रकाशन	45.0000	00.0000
	3301 सब्सिडी	1005.7500	204.0242
	योग	**1170.6300**	**269.4642**
2	मुख्य शीर्ष –2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष –00 लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, माँग सं०– 01, उप शीर्ष –0153बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना, विपत्र कोड –01–2401007890153 विषय शीर्ष		
	1101 यात्रा व्यय	0.9600	0.0000
	1301 कार्यालय व्यय	9.5600	9.5600
	2003 प्रशिक्षण व्यय	15.0000	00.0000
	2601 विज्ञापन और प्रकाशन	12.0000	00.0000
	3301 सब्सिडी	268.6000	54.4876
	योग	**306.1200**	**64.0476**

3	मुख्य शीर्ष –2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष –00 लघु शीर्ष 796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०– 01, उप शीर्ष 0175–बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना, विपत्र कोड –01–2401007960175 विषय शीर्ष		
	1101 यात्रा व्यय	0.0800	0.0000
	1301 कार्यालय व्यय	1.6800	1.6800
	2003 प्रशिक्षण व्यय	0.9800	0.0000
	2601 विज्ञापन और प्रकाशन	0.8500	0.0000
	3301 सब्सिडी	19.6600	3.9882
योग		**23.2500**	**5.6682**
कुल योग		**1500.0000**	**339.1800**

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 30.03.2025 को सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति से योजना प्रस्ताव अनुशंसित है। योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– NHM/BHDS/ 111/2023 के पृ0सं0–76/टि0 पर दिनांक–30.03.2025 को प्राप्त है।

15. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– NHM/BHDS/ 111/2023 के पृ० सं०–77/टि० पर दिनांक–30.03.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–212 दिनांक–30.03.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० 30/3/25
(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/ 111/2023 - पी०पी०एम०-207 /पटना दिनांक 30/03/2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 30/3/25
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/ 111/2023 - पी० पी० एम०-207 /पटना दिनांक 30/03/2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 30/3/25
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/ 111/2023 - पी०पी०एम० -207 /पटना दिनांक 30/03/2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 30/3/25
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/ 111/2023 - पी०पी०एम० - 207 /पटना दिनांक 30/03/2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 30/3/25
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/ 111/2023 - पी०पी०एम० - 207 /पटना दिनांक 30/03/2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 30/3/25
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/ 111/2023 - पी०पी०एम० - 207 /पटना दिनांक 30/03/2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

ह० 30/3/25
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Bihar Agri Investment Promotion Policy - FY 2024-25

S. N.	Sub heads	Amount (in INR Lakh)
1	Subsidy for eligible applicants	262.5
2	Office/Administrative expenses	76.68
3	Promotional/Training activities	0
4	Monitoring/Travel Expenses	0
	Total	**339.18**

Note: The inter-componental change amongst each of the budget heads shall be undertaken basis the requirement after due approval from Director Horticulture cum Mission Director

1.Capital Subsidy.

S. N.	Particulars	Tentative Project Cost/Project(in INR Lakh)	No.of Unit.	Total Project Cost (in INR Lakh)	Rate of Subsidy (%)	Subsidy Amount (in INR Lakh)
A	B	C	D	E	F	G
1	For Individuals	350	5	1750	0.15	262.5
2	For FPCs			0	0	0
Total			5	1750		262.5

2.Publication and Advertisment

S. N.	Particulars	Rate (in INR Lakh)	No.s	Total (in INR lakh)	Total (in INR lakh)
A	B	C	D	E = C x D	E = C x D
1	Hoarding / Banner	0	0	0	0
2	Leaflet / Pamphlet	0	0	0	0
3	Booklet / Brochure	0	0	0	0
Total				0	0

3.Promotional and Training Events

S. No.	Particulars	Rate (in INR Lakh)	No.s	Total (in INR lakh)
A	B	C	D	E = C x D
1	State level workshop / event (sector / theme specific)	0	0	0
2	Regional level workshop	0	0	0
3	National Level Workshop/Event	0	0	0
4	Road shows (outside state - Kolkata/ Delhi/ Varanasi/ Bangalore/ Mumbai/ Chennai)	0	0	0
Total				0

4.Monitoring / Supervision visits

S. No.	Particulars	Per visit tentative rate (in INR Lakh)	No.s	Total (in INR Lakh)
A	B	C	D	E = C x D
1	Monitoring / Supervision visit	0	0	0
	Total			-

5.Office and administrative expenses

S. No.	Sub heads	Amount (in INR Lakh)
1	Technical Support Group, Young professionals / Management Interships, Studies, office staff etc.	76.680
	Total	**76.680**

विजय कुमार पंडित

अनुसूची-2

वितीय वर्ष 2024-25 का राज्य योजना के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथाश्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य निर्धारण मिशन प्रबंधन सहित (राशि लाख रूपये में)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल वित्तीय
उप निदेशक उद्यान,(प्र०एवं मू०),उद्यान निदेशालय, बिहार ,पटना	269.4642	64.0476	5.6682	339.18

विजय कुमार पंडित

अनुसूची-3

Sl no.	Sector Name	A. For Individuals: No. of Projects	Avg. Project cost per project (Rs. In lakh)	Total Project Cost approx. (Rs. In lakh)	Capital Subsidy under BAIPP approx. (Rs. In lakh) @15%	B. For FPCs: No. of Units	Avg. Project cost per project (Rs. In lakh)	Project cost approx. (Rs. In lakh)	Capital Subsidy under BAIPP approx. (Rs. In lakh) @25%	No.of Projects	Capital Subsidy under BAIPP (Approx.)
1	Makhana	3	299.33	898.00	134.70						
2	Fruits & Vegetables	-	-	-	-						
3	Honey	0	0.00	0.00	0.00						
4	Medicinal & Aromatic Plants	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	5	262.50
5	Maize	2	426.00	852.00	127.80						
6	Tea		-	-	-						
7	Seeds		-	-	-						
	Total	**5**		**1750.00**	**262.50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**262.50**

Note 1: The project cost given above is tentative and may vary from project to project basis. Hence the same may be lower or more than the abovementioned project cost.
Note 2: Inter-sectoral number of projects and investor category (Individual/FPC) number of project may be changed as required after due approval from Secretary, Agriculture,

विजय कुमार पंडित